

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 09.01.2026

संख्या-1/सी.-1005/2025-सा.प्र.-679/श्रीमती कशिश बख्शी, परीक्ष्यमान भा.प्र.से. (बी एच : 2024) [सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में] को जिला प्रशिक्षण के उद्देश्य से सहायक समाहर्ता-सह-सहायक दण्डाधिकारी, सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती बख्शी को आलोच्य पदस्थापन के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं धारा-163 में निहित शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(सदन कुमार झा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/सी.-1005/2025-सा.प्र.-679/पटना-15, दिनांक: 09.01.2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा- आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ महानिदेशक, बिपार्ड, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ अपर महानिदेशक, बिपार्ड, गया/उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (उत्तराखंड) -248179/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/आई.टी. मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी.डी. के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
09/1/26  
सरकार के अवर सचिव।